क	तिथि	निरीक्षण/बैठक स्थल	तथ्यात्मक स्थिति	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
2	5.5.11	ओंकारेश्वर का अध्यक्ष, समिति के सदस्य, सीएमओ, एनएचडीसी के अधिकारी एवं एनजीओ के साथ निरीक्षण/ सर्वेक्षण/बैठक	2 ओंकारेश्वर मंदिर का पूजा निरमाल्य व मकानों का नगरीय ठोस अपशिष्ठ आस-पास के क्षेत्रों में ढेर के रूप में एकत्रित पाया गया ।	- नगर पंचायत द्वारा तत्काल सीवेज नालियों के इंटरसेप्शन-डायवर्सन की योजना बनाकर भोपाल स्वीकृति हेतु भेजी गई है, कार्यवाही मार्च 2012 तक पूर्ण हो सकेगी ।
3	9.5.11	अध्यक्ष प्रनिबो, क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर, सीएमओ, ओंकारेश्वर, नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति के सदस्य, व प्रोजेक्ट कंसलर्टेंट व एनजीओ के साथ इन्दौर क्षेत्रीय कार्यालय में ओंकारेश्वर के पर्यावरण प्रबंधन की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण व बैठक,	3 एनएचडीसी के द्वारा हायडल पावर स्टेशन को ओंकारेश्वर घाट के पूर्व बनाया गया है जहां घाट की तरफ के गेट नहीं खोलने के कारण घाट पर जल के स्टेगनेशन से जल गुणवत्ता प्रभावित पाई गई।	- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, ओंकारेश्वर को निर्देश देकर पूजा निरमाल्य व नगरीय ठोस अपशिष्ठ को 7 दिवस की अवधि में उठकर व्यवस्थित अपवहन करवाया गया ।
4	19.5.11	ओंकारेश्वर घाट पर धर्मगुरूओं, सीएमओ, एनएचडीसी के अधिकारियों, एनजीओ के साथ क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर की बैठक	4 एनएचडीसी के द्वारा हायडल पावर स्टेशन बनाते समय मलवे को ओंकारेश्वर मंदिर के पीछे की ओर डाल देने से नर्मदा नदी के प्रवाह में रूकावट देखी गई ।	- एनएचडीसी को निर्देश दिये गये कि वे मंदिर के सामने व घाट के सामने जल के प्राकृतिक प्रवाह को बनाये रखने के लिये आवश्यकतानुसार गेट खोलना सुनिश्चित करें । एनएचडीसी द्वारा बताया गया कि महेश्वर के हायडल पावर प्लान्ट के प्रारम्भ हो जाने के बाद घाट तक बेक वाटर उपलब्ध हो सकेगा जिससे जल गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा । एनएचडीसी को बोर्ड द्वारा जल अधिनियम की धारा 33 क के अन्तर्गत राशि रूपये 50.00 लाख की बैंक गारन्टी के साथ मलवे को हटाने की समयबद्ध कार्ययोजना जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

नर्मदा नदी, डिण्डौरी शहर के किनारे वाहनों की धुलाई आदि के कारण भी नदी प्रदूषित होती हैं

5	2.7.11	अध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रनिबो तथा नर्मदा प्रदूषण उपशमन समिति के सदस्यों के साथ सीएमओ होशंगाबाद के साथ घाटों का निरीक्षण/सर्वेक्षण व बैठक	5 घाट पर श्रद्धालुओं द्वारा साबुन का प्रयोग नहाने, कपड़े धोने आदे में करने से नदी गुणवत्ता प्रभावित होती देखी गई ।	- इस संबंध में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के दल के द्वारा बरसात के बाद नवम्बर माह में निरीक्षण भी किया जाना है।
6	11.8.11	बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में, नगर निगम, जबलपुर, नगर पंचायत भेडाघाट, पार्षद ग्वारीघाट,	6 घाटों के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था होते हुये पाई गई ।	क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से ओंकारेश्वर के गोमुख एवं मंदिर घाट की दीवालों पर वाल पेंटिंग व होर्डिंग के

		रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक एवं एनजीओ आदि के साथ बैठक।		माध्यम से 100 स्थानों पर जन-जागृति व जन-चेतना के लिये नदी को स्वच्छ रखने की सलाह व गंदा न करने की विधिक चेतावनी संदेश लिखवाये गये हैं ।
7	18.10.11		7 बैठक में कंसलटेंट श्री चराटे द्वारा योजना का तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया गया ।	- नगर पंचायत ओंकारेश्वर के सीएमओ श्री सिकरवार द्वारा वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कन्सलटेंट प्रा0लि0 भोपाल के माध्यम से राशि रूपये 4.08 करोड की पर्यावरण उन्नयन की योजना बनाई गई है । म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में कन्सलटेंट के माध्यम से ओंकारेश्वर के प्रदूषण नियंत्रण के लिये राशि रूपये 3.00 करोड की एक योजना बनाई थी जिसे भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है ।
8	19.10.11	डिंडौरी	8 ओंकारेश्वर में बैठक आयोजित की गई जिसमें नगर पंचायत ओंकारेश्वर के प्रतिनिधि, नगर के गणमान्य नागरिक, धर्मशाला प्रबंधक, अशासकीय संगठन के पदाधिकारी आदि उपस्थित हुये ।	- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत ओंकारेश्वर द्वारा अवगत कराया कि विभाग द्वारा मंदिर तथा आस-पास के क्षेत्र में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है । नगर पंचायत ओंकारेश्वर की ओर से तथा एनएचडीसी के सहयोग से 5 वालिंटियर्स की घाटों पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई जो नदी में गंदगी फैलाने वालों को विसिल बजाकर चेतावनी देते हैं व श्रद्धालुओं को कपड़े धोने की वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी देते हैं जो घाटों से दूर बनाई गई है । - नगर पंचायत डिंडौरी अन्तर्गत नगर में प्रतिदिन अपस्ट्रीम से लगभग 12 लाख लीटर पानी घरेलू कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 8 लाख ली. घरेलू दूषित जल बगैर किसी उपचार नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम निस्सारित कर दिया जाता है । नगर निगम को उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान करते श्रद्धालू

नर्मदा प्रदूषण शमन समिति द्वारा अमरकंटक में नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित बैठक

नर्मदा नदी में अनुपचारित जल-मल का मिलना

नर्मदा नदी में मछली पकड़ते मछुआरे

9 नर्मदा नदी के किनारे स्थापित जल प्रदूषणकारी उद्योगों विशेष कर मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टलरी बड़वाहा, मैसर्स अग्रवाल डिस्टलरी, बड़वाहा में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था व शून्य निसाव की समीक्षा ।

– मैसर्स एसोसिएटेड डिस्टलरी द्वारा 3 स्तर का दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है व उपचारित निस्राव का परिसर में उपयोग कर शून्य निस्राव का सतत् पालन किया जाता है। वर्तमान में आधुनिकतम टरशरी स्तर के उपचार व्यवस्था के रूप में आर.ओ.प्लान्ट की स्थापना कराई गई है व उद्योग में मल्टीपल इफेक्ट एवोपरेटर की स्थापना हेतु निर्देश दिये गये हैं जो एक वर्ष की अवधि में स्थापित किया जा सकेगा । उक्त कार्य पूर्ण करने के लिये बोर्ड में राशि रूपये 15 लाख व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में राशि रूपये 50 लाख की बैंक गारन्टी जमा कराई गई है ।

1 नर्मदा नदी के तीनों घाट कमशः सेठानीघाट, कोरीघाट, मंगलवारा घाट में पूजा निरमाल्य एकत्रित पाया गया जो बहुत दिनों से सफाई नहीं होने के कारण सड़ रहा था ।

– मुख्य नगर पालिका अधिकारी को स्थल पर निर्देश दिये गये कि घाट पर फैले पूजा निरमाल्य, मुण्डन के बाल, नगरीय ठोस अपशिष्ठ को 7 दिवस की अवधि में अभियान चलाकर साफ करवायें ।

2 कोरी घाट में मिलने वाले नाले को डायवर्ड करने के अभिप्राय से स्थापित पम्प व सम्पवैल कार्यरत नहीं होने से नर्मदा नदी में नाले का पानी सीधे मिलते हुये पाया गया।

– सीवेज नाले का कोरी घाट पर डायवर्सन के लिये बनाये गये सम्प एवं पम्प की व्यवस्था के माध्यम से तुरन्त नाले का डायवर्सन शुरू करें ।

3 कोरीघाट नाले को डायवर्ट कर उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है जबकि उक्त की स्थापना विगत 10-15 वर्ष पूर्व हो जाना चाहिये थी ।

– प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने के लिये समयबद्ध कार्य योजना बनाकर म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करें। कार्य को समय पर पूरा करने के कमिटमेंट के रूप में बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत की जाये ।

नर्मदा प्रदूषण शमन समिति द्वारा नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित राज्य स्तरीय बैठक

सोमवती अमावस्या पर नर्मदा नदी किनारे आयोजित मेले का दृश्य

4 घाटों से चिपककर बने कुछ मकानों का सीवेज भी सीधे नर्मदा नदी में जाता हुआ पाया गया ।

– घाटों में होने वाली प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोकने के लिये निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाये व निगरानी करने वाले कर्मचारियों द्वारा कोताही बरतने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

5 घाटों पर श्रद्धालुओं के मुण्डन की व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है व नाईयों द्वारा मुण्डन कर बालों को यत्र-तत्र फैला पाया गया।

– घाटों पर विशेष त्यौहारों के दौरान योजना बनाकर कार्यवाही की जाये जिसमें वरिष्ठ नागरिकों व पर्यावरणीय विशेषज्ञों से भी सलाह लेकर योजना को सख्ती से लागू किया जाये ।

6 घाट पर जानवरों के अनाधिकृत प्रवेश से पूर्व से फैले म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट के फैलने व जानवरों द्वारा अन्य प्रकार की गन्दगी फैलाने की स्थिति देखी गई।

– डायवर्शन का कार्य मार्च 12 तक पूर्ण होने की संभावना ।

– रूपये 47 लाख की लागत से 150 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के एसटीपी का निर्माण कार्य प्रगति पर । वर्ष 2011-12 में पूर्ण होने की संभावना ।

– नर्मदा से रेत उत्खनन से नदीतल में कीचड़ व चोई के अन्धाधुन्ध पनपने की समस्या के निदान हेतु ग्वारीघाट पर स्थानीय पार्षद श्री मनीष दुबे द्वारा जन-सहयोग से चोई निकालने की कार्यवाही की गई है ।

– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूर्ती विसर्जन के लिये जारी मार्गदर्शिका का अनुपालन नगरीय निकाय के माध्यम से करने के निर्देश दिये गये । स्थानीय पार्षद श्री मनीष दुबे द्वारा बताया गया कि ग्वारीघाट में गणपति विसर्जन हेतु पृथक से कुण्ड बनाकर 100 प्रतिमाओं का विसर्जन इस वर्ष किया गया । इसयी तरह अगले वर्ष दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु कुण्ड बनाने की कार्यवाही की जाना है।

– नगरीय निकायों को ऐसा सुनिश्चित करना चाहिये कि अनाधिकृत निर्माण नदी तट पर न हों ऐसे निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिये

ओंकारेश्वर मार्ग पर स्थित मकान की मुख्य दिवाल पर प्रदर्शित संदेश

ओंकारेश्वर मार्ग पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय में प्रदर्शित संदेश

7 घाटों पर ओपन डेफीकेशन के कारण बदबू व गन्दगी पाई गई जिसकी न तो सफाई की व्यवस्था थी और न ही नगर पालिका की ओर से दिये गये दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मचारी घाटों पर मौजूद थे ।

- ग्वारीघाट पर मिलने वाले नाले को रोककर डायवर्शन व उपचार ।

- ललपुर के समीप बनी 20 कालोनियों का पानी नाले के माध्यम से नर्मदा नदी में मिलता है ।

गये।

- नगर निगम जबलपुर के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि अवैध कालोनियों के विकास को रोकने हेतु कार्यवाही करें ।

- नगर निगम जबलपुर को इस हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये गये ।

- नगर पंचायत डिंडौरी अन्तर्गत नगर मे प्रतिदिन अपस्ट्रीम से लगभग 12 लाख लीटर पानी घरेलू कार्य हेतु उपयोग मे लाया जाता है तथा लगभग 8 लाख ली. घरेलू दूषित जल बगैर किसी उपचार नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम निस्सारित कर दिया जाता है । नगर निगम को उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है।

- नदी के स्नानघाट पर स्नान के समय साबुन, सेम्पू आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु सी.एम.ओ. डिंडौरी को निर्देश दिये गये ।

- क्षेत्रीय कार्यालय को स्नानघाटो पर ऐसे होर्डिंग जिसमे उक्त प्रतिबन्ध दर्शाये गये हो लगाने के निर्देश दिये गये।

- नर्मदा नदी की स्वच्छता बनाये रखने के लिये नदी मे मिलने वाले नालों को डायवर्ट कर उपचार उपरांत, उपचारित जल का सिंचाई मे उपयोग किये जाने संबंधी योजना बनाकर लागू करने के निर्देश सी.एम.ओ. को दिये गये।

नर्मदा प्रदूषण शमन योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के प्रमुख घाटों के पर्यावरण सुधार योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर कूड़ा-कचरा एकत्र करने बाबत कचरे के डब्बे (बिन्स) रखवाये गये है तथा जन साधारण को समझाइश हेतु बेनर/पोस्टर इत्यादि लगवाये गये है

नर्मदा मॉनीटरिंग कार्यक्रम

सम्पूर्ण नर्मदा घाटी वन सम्पदा से भरपूर है । असंख्य वनस्पतियों से भरे नर्मदा कछार के वन, नर्मदा के उत्तरी किनारे के साथ चलने वाली विन्धय पर्वतमाला और दक्षिण किनारे के साथ सतपुड़ा पर्वतमाला में फैले हैं । विन्ध्य और सतपुड़ा के पहाड़ो के ये वन नर्मदा और नर्मदा की सहायक

नर्मदा नदी का बहाव क्षेत्र

नदियों के लिये शिराओं और धमनियों की तरह है तथा वर्षाकाल के दौरान जो जल उनके द्वारा सोख

ओंकारेश्वर में नर्मदा के सेम्पलिंग बिन्दु

लिया जाता है, वही जल वर्ष भर छोटे–छोटे जल स्त्रोतों के रूप में नर्मदा में पहुंचता है, तथा इसी कारण प्रदेश की इस नदी में वर्ष भर प्रवाह रहता है। परन्तु इनके साथ ही नर्मदा घाटी पर मानव आबादी का दबाव पिछले दशकों में निरंतर बढ़ा है। वर्ष 1901 में नर्मदा कछार में आने वाले जिलों की जनसंख्या वर्ष 2001 की स्थिति में पांच गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़ोत्तरी की दर लगभग 25 प्रतिशत है तथा इसी प्रकार वर्ष 2012 और आने वाले समय में नर्मदा नदी पर मानव आबादी के निरंतर बढ़ते बोझ का अनुमान लगाया जा सकता है। आबादी के निरन्तर बढ़ते दबाव ने जहां नर्मदा के जल दोहन की मात्रा को तो बढ़ाया ही है वही नदी किनारे बसे छोटे शहरों व गांवों के अनुपचारित दूषित जल के कारण

सेठानी घाट होशंगाबाद पर दैनिक स्नान करते श्रद्धालू

कहीं–कहीं जल गुणवत्ता भी प्रभावित होने की संभावना रहती है । लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या

को ध्यान में रखते हुऐ नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता का मापन व उसका अनुरक्षण करना अत्यावश्यक है । मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की **65 नदियों पर 171 बिन्दुओं** पर वार्षिक पैकेज बनाकर मॉनीटरिंग का कार्य किया जाता है, जो प्राकृतिक जल स्रोतों की मॉनीटरिंग की जानकारी के रूप में संकलित की जाती है।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नर्मदा नदी में कुल 21 बिन्दुओं पर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन तथा इन्दौर के माध्यम से (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोषित राष्ट्रीय स्तर की दो महत्वपूर्ण मॉनीटरिंग की परियोजनाओं में से जैम्स, मीर्नास परियोजना के बिन्दु भी शामिल हैं) जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग का कार्य सतत् रूप से किया जाता है। जल गुणवत्ता के प्राप्त परिणामों को आईएस 2296 के परिप्रेक्ष्य में आंकलित कर वर्गीकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आईएस 2296 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक हैं जो नदी जल के डेजिंगनेटेड प्रयोग के आधार पर ए, बी, सी, डी एवं ई केटेगरी में नदी जल को उपयोग करने को मान्यता दी गई है ।

आई.एस. 2296- 1982 के आधार पर श्रेणी निम्नानुसार है :-

ए :- पेयजल स्त्रोत रोगाणुरहित गैर-पारम्परिक उपचार के बिना

बी :- बाह्य स्नान योग्य (आऊट डोर बाथिंग)

सी :- पेयजल रोगाणुरहित पारम्परिक उपचार के साथ

डी :- वन्य जीवन एवं मत्सय पालन हेतु

ई :- सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतलन या नियंत्रित दूषित अपवहन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 21 बिन्दुओं पर की गई मॉनीटरिंग के विगत 5 वर्षों के विश्लेषण परिणामों को आईएस 2296 की केटेगरी के अनुसार आंकलित किया गया है । विवरण निम्नलिखित तालिका "अ" अनुसार है :

क	जल गुणवत्ता मापन बिन्दु	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
1.	उद्गम स्थल, अमरकंटक, शहडोल ।	ए	ए	बी	ए	ए
2.	डिण्डोरी शहरी दूषित जल मिलने के पहले, शहडोल ।	-	ए	ए	ए	बी
3.	डिण्डोरी शहरी दूषित जल मिलने के बाद, शहडोल ।	-	ए	ए	ए	सी
4.	जमतरा, रेल्वे ब्रिज के पास, जबलपुर ।	ए	ए	ए	बी	ए
5.	पंचवटी घाट बावनगंगा नदी मिलने के पहले, जबलपुर ।	ए	बी	ए	ए	ए
6.	सरस्वती घाट बावनगंगा नदी मिलने के बाद, जबलपुर ।	ए	ए	ए	ए	ए
7.	लालपुर जल प्रदाय केन्द्र के पास, जबलपुर ।	ए	ए	ए	बी	बी
8.	तिलवाराघाट, स्नानघाट के पास, जबलपुर ।	ए	ए	ए	बी	ए
9.	शमशानघाट के पास. मण्डला ।	बी	बी	ए	बी	ए
10.	बरमानघाट से 100 मी. के बाद. नरसिंहपुर ।	बी	ए	ए	बी	ए

11. शाहगंज अप स्ट्रीम, गेस्ट हाउस के पास, होशंगाबाद।	बी	बी	ए	बी	बी
12. कोरी घाट के पास, होशंगाबाद।	बी	बी	बी	बी	बी
13. सेठानीघाट के पास, होशंगाबाद।	बी	बी	सी	बी	बी
14. एस.पी.एम. नाला मिलने के 100 मी. बाद, होशंगाबाद।	बी	बी	बी	सी	सी
15. अप स्ट्रीम, जल प्रदाय पम्पिंग स्टेशन, मण्डलेश्वर ।	बी	बी	ए	बी	बी
16. डाउन स्ट्रीम, महेश्वर ।	बी	बी	ए	बी	बी
17. डाउन स्ट्रीम, ओंमकारेश्वर	ए	बी	ए	बी	बी
18. राजघाट, बड़वानी ।	बी	बी	ए	बी	बी
19. मोरटक्का ब्रिज, बड़वाहा ।	–	–	ए	ए	बी
20. पुनासा डेम, पुनासा ।	–	–	–	बी	बी
21. जल प्रदाय केन्द्र के पास, नेमावर, देवास ।	–	–	ए	ए	ए

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्तानुसार विगत 5 वर्षो में नर्मदा नदी की की गई जल मॉनिटरिंग के परिणामों से यह ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी में मात्र निम्न 2 स्थानों पर नदी की गुणवत्ता 'सी' श्रेणी (पिय जल रोगाणु रहित पारंपरिक उपचार के साथ) की प्राप्त हुई हैः

अ डिंडोरी शहरी दूषित जल मिलने के बाद शहडोल

ब एसपीएम नाला मिलने के 100 मीटर बाद होशंगाबाद

मध्य प्रदेश में बोर्ड द्वारा की जा रही नर्मदा नदी के अन्य 19 बिन्दुओं पर जल गुणवत्ता 'ए' या 'बी' श्रेणी की है जो यह इंगित करती है कि प्रदेश में नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता काफी अच्छी है।

नर्मदा के जंगल

जंगल नर्मदा का श्वसन तंत्र है। नर्मदा इनसे प्राणवायु (जल) लेती है। बादल वर्षा बन इन वनों पर बरसते हैं । जल पेड़ों से पहाड़ों में चला जाता है। वर्ष भर यही जल रिस–रिसकर नर्मदा में आता है। साल, सागौन, अंजन, पलाश, खैर, बाँस, धावड़ा, अचार, नीम, अर्जुन जैसे वृक्ष और कई प्राचीन औषधीय पौधों से पूरा क्षेत्र भरा है। इस क्षेत्र में २६२ औषधीय पौधों की प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। नर्मदा क्षेत्र के जंगल वन्य जीव–विविधता से भरपूर हैं। इस क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय उद्यान तथा नौ वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, जो जीवों को संरक्षित करने के लिये बनाये गये हैं